उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–754/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(97)–2013
लखनऊः दिनांकः 07 जून, 2013

शुद्धि–पत्र

दिनांक 22 मई, 2013 के उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट में संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ–साथ प्रकाशित उसी दिनांक की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–606/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(95) –2013 के

(क) **हिन्दी पाठ में** उक्त अधिसूचना के खण्ड (ख) में, उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची–दो भाग–क में क्रम संख्या 7 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि पढ़ी जायः–

" कीमती धातुओं से बने बर्तनों, सिरेमिक वेयर्स तथा ग्लास वेयर्स के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के बर्तन, जिसमें प्रेशर कुकर/कढाई भी सम्मिलित है; कलात्मक पीतल के सामान एवं इंगट्स (गुल्ली); चम्मच। "

(ख) **अंग्रेजी पाठ में** उपर्युक्त अधिसूचना के खण्ड (b) में, उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–दो भाग–क में क्रम संख्या 7 की प्रविष्टि में शब्द " glasswares " के स्थान पर शब्द तथा अर्द्ध विराम "glasswares ; " पढ़ा जाय।

2. संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–क0नि0–2–701/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(96)–2013 लखनऊ, दिनांकः 30 मई, 2013 द्वारा जारी शुद्धि पत्र उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
07/6/13
(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।